नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

1. ऑनलाइन आवेदन करना इस विज्ञापन में वर्णित सभी **नियमों, शर्तों एवं दिशा निर्देशों की-स्वीकृति** माना जाएगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी **सही, पूर्ण एवं सत्य** होना अनिवार्य है। गलत अथवा भ्रामक जानकारी पाए जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
3. **पशुपालक मित्र दुग्ध समृद्धि योजना के अंतर्गत नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा।** पात्र अभ्यर्थियों का चयन संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **10वीं उत्तीर्ण** तथा आयु सीमा **18 से 40 वर्ष** निर्धारित है। आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि **06 सितम्बर 2026** को आधार मानकर की जाएगी।
5. **आवेदन शुल्क ₹750/-** होगा, जो **अप्रतिदेय (Non – Refundable)** होगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को संस्थान के अधिकृत **पशुपालक मित्र** के रूप में कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित **₹10,000/- की कार्य प्रारम्भ करने हेतु उत्पाद राशि** संस्थान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करनी होगी।
7. **कार्य प्रारम्भ करने हेतु उत्पाद राशि** का उद्देश्य अभ्यर्थी के पंजीकरण, प्रशिक्षण, कार्य प्रारम्भ एवं योजना संचालन से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है।
8. संस्थान द्वारा **Declaration Letter** भेजे जाने के पश्चात अभ्यर्थी को उसे **₹100/- के गैर न्यायिक-स्टाम्प पेपर पर नोटरी** करवाकर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **₹3,000/- की उत्पाद राशि** के भुगतान की रसीद सहित संस्थान को प्रस्तुत करना होगा।
9. उद्धोषणा पत्र एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार **प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।**
10. प्रशिक्षण में उपस्थिति एवं संस्थान द्वारा दिए गए सभी प्रशिक्षण संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा **नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)** प्रदान किया जाएगा।
11. पशुपालक मित्र को निर्धारित पंचायत क्षेत्र में कार्य करते हुए संस्थान के उत्पादों का प्रचार प्रसार-एवं विक्रय करना होगा तथा **भरोसा कैल्शियम की न्यूनतम 150 कैन प्रति माह** का निर्धारित लक्ष्य पूरा करना होगा।
12. मानदेय **कार्य निष्पादन एवं निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के आधार पर** देय होगा। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण पूर्ति न होने पर संस्थान की नीति के अनुसार मानदेय में आनुपातिक कटौती की जा सकती है।

13. निर्धारित मानकों के अनुसार संतोषजनक कार्य निष्पादन एवं निरंतर लक्ष्य पूर्ति की स्थिति में संस्थान की नीति के अनुसार **प्रतिवर्ष 10% तक मानदेय वृद्धि** की जा सकती है।
14. लगातार **6 माह तक निर्धारित लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति-** करने वाले पशुपालक मित्र को संस्थान की नीति के अनुसार पदोन्नति हेतु प्राथमिकता दी जा सकती है।
15. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज, फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट एवं सही होने चाहिए। गलत, अपूर्ण अथवा फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
16. आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ई मेल आईडी अभ्यर्थी की स्वयं की सक्रिय संपर्क जानकारी- होनी चाहिए। संस्थान द्वारा भेजी गई सूचनाओं की नियमित जांच करना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।
17. संस्थान आवश्यकता के अनुसार **पदों की संख्या, लक्ष्य, मानदेय, नियम, शर्तों अथवा योजना की कार्यप्रणाली में संशोधन** करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
18. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, तथ्य छिपाने, अनुशासनहीनता अथवा संस्थान के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारीनियुक्ति समाप्त की/ जा सकती है।
19. इस विज्ञापन एवं चयन नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विषय पर/ **संस्थान का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।**